सं.ई-11011/27/2021/हिन्दी(रा.भा.का.स.)/ 18

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

906(द.), सेवा भवन

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 66

दिनांक: 31 जनवरी, 2022

विषय: अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 को आयोजित 146वीं बैठक का कार्यवृत्त और इसमें लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में। (Minutes of the 146th Meeting of Official Language Implementation Committee of Central Water Commission (Headquarters) held on 28 December, 2021 and time-bound action on decisions taken therein-reg.)

महोदय/महोदया,

सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना स्कंध), के.ज.आ. की अध्यक्षता में दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे आयोजित केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 146वीं बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को अवगंत करवाया जाए।

<u>संलग्नक</u> : यथोक्त ।

भवदीया,

31/01/2022

(रजिन्दर पाल)

उप निदेशक (राजभाषा)

दूरभाष सं: 29583720

1. समिति के सभी सदस्य (सूची के अनुसार)।
2. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग।
3. सभी समन्वय निदेशालय/ अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग।

केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.12.2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे आयोजित 146वीं बैठक का कार्यवृत्त।

केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 146वीं बैठक दिनांक 28.12.2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे सदस्य, अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

सदस्य, अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध, केंद्रीय जल आयोग महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि यह राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 146वीं बैठक है। उन्होंने कहा कि बैठक की कार्यसूची पर चर्चा करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि हमें सरकारी काम काज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग निर्धारित लक्ष्य के अनुसार तो करना ही है और साथ ही हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा देने और अपने समस्त सरकारी कार्य हिन्दी में करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे हिंदी की प्रगति बढ़ाने हेतु अपना-अपना योगदान दें जिससे कि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तत्पश्चात्, समिति के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से संयुक्त सचिव महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि इस बैठक में जून, 2021 माह की तिमाही की तुलना में सितम्बर, 2021 माह में मूल पत्राचार तथा फाइलों पर टिप्पणी लेखन के आंकड़ों की तुलनात्मक समीक्षा की जाएगी। आयोग में सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। केंद्रीय जल आयोग में राजभाषा नीति एवं नियमों का अनुपालन उचित रूप से किया जा रहा है तथा इस क्षेत्र में निरंतर सुधार हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्रीय कार्यालयों में भी हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति में भी निरंतर सुधार हो रहा है। इसके बाद संयुक्त सचिव महोदय ने उप निदेशक (रा.भा.) को मदवार कार्रवाई शुरू करने का निदेश दिया। तत्पश्चात, समिति के अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपनिदेशक (रा.भा.) ने मदवार कार्रवाई शुरू की।

सदस्य सचिव ने समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बताया कि दिनांक 30.09.2021 को आयोजित की गई पिछली बैठक के कार्यवृत्त 01.11.2021 के पत्र द्वारा सभी सदस्यों और अनुभागों को परिचालित कर दिए गए थे। इस संबंध में इस पर कहीं से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। अतः कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है। समिति के सदस्यों की सहमति से कार्यवृत्त की पुष्टि मान ली गई।

इसके बाद सदस्य सचिव ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई से सभी को अवगत करवाया और मदवार चर्चा शुरू की।

समिति के उपस्थित सदस्यों की सूची अनुबंध 'क' पर संलग्न है।
उक्त बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात लिए गए निर्णय निम्नानुसार है:-

1. सदस्य सचिव ने बताया कि केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 10 कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के पदों के सृजन/रिवाइवल करने संबंधी मामला अभी भी जल संसाधन विभाग / वित्त मंत्रालय में लंबित है। इस संबंध में स्थापना-7 अनुभाग लगातार आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। समिति के अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि इस संबंध में हम अपनी पूरी कोशिश जारी रखें और स्थापना-7 अनुभाग इस मामले का अनुवर्तन (फॉलो अप) करें।

(कार्रवाईः स्थापना-7 अनुभाग)

2. उप सचिव एवं उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों को वॉइस टूल उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में निदेशक, एसएमडी ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों को यह उपकरण उपलब्ध करा दिया गया है तथा इसके साथ एक कैमरा भी दिया जा रहा है ताकि वॉइस टूल के माध्यम से ही कैमरा के सहयोग से वीडियो कांफ्रेंसिंग भी की जा सके। समिति के अध्यक्ष महोदय ने एसएमडी निदेशालय से यह सुनिश्चित करने को कहा कि इस टूल का उचित उपयोग करते हुए सभी अधिकारी आसानी से अपना सरकारी काम अधिक से अधिक हिंदी में करें ताकि संसदीय राजभाषा समिति को दिये गए आश्वासन को पूरा किया जा सके।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय)

3. क्षेत्रीय कार्यालयों की तिमाही रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए सदस्य सचिव ने बताया कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों ने पिछली तिमाही में कार्यशाला और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया है। हालांकि उन्हें दिनांक 11.11.2021 के पत्र द्वारा यह सूचित किया गया था कि यदि कोविड-19 महामारी के कारण राजभाषा कार्यान्वयन समिति तथा हिंदी कार्यशाला का फिजिकल आयोजन करना संभव ना हो तो इसे ऑनलाइन माध्यम से (वर्चुअली) किया जा सकता है। तत्पश्चात, अधिकांश क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इसका पालन किया जा रहा है परंतु अभी भी कुछ कार्यालय बैठक और कार्यशाला आयोजित नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने इस उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए निदेश दिया कि उल्लंघन करने वाले कार्यालयों को इस संबंध में पत्र लिखा जाए।

(कार्रवाईः क्षेत्रीय कार्यालय / हिंदी अनुभाग)

4. क्षेत्रीय कार्यालयों की तिमाही रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालय धारा 3(3) तथा नियम 5 का पालन नहीं कर रहे है। उल्लेखनीय है कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा भी इस उल्लंघन को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय ने धारा 3(3) के महत्व को स्पष्ट करते हुए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इसका पालन करने संबंधी पत्र भेजने का निदेश दिया तथा उल्लंघनकर्ता कार्यालयों को इस संबंध में अलग से पत्र भेजने का निदेश दिया।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग)

5. केंद्रीय जल आयोग के पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों को वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के दौरान निदेशक (प्रशिक्षण) ने बताया कि हिंदी पुस्तकों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है और उसे क्लिक कर एक्सेस करते हुए पुस्तकों के विवरण प्राप्त किए जा सकते हैं तथा पुस्तकालय में फोन कर वांछित पुस्तक प्राप्त की जा सकती है।

(कार्रवाईः पुस्तकालय एवं सूचना ब्यूरो)

6. केंद्रीय जल आयोग के विभिन्न निदेशालयों/अनुभागों एवं स्कंधों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के निरीक्षण के संबंध में समिति के अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में आंतरिक निरीक्षण पर भी पूरा ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। आंतरिक निरीक्षण के संबंध में अनुभागों/निदेशालयों तथा स्कंधों विशेषकर जिनकी प्रतिशतता तुलनात्मक रूप से कम है उनका निरीक्षण हिन्दी अनुभाग द्वारा किया जाए और उन्हें राजभाषा हिंदी में कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाए।

(कार्रवाईः सभी अनुभाग/निदेशालय एवं स्कंध)

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही बैठक सम्पन्न हुई।

अनुबंध - 'क'

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे आयोजित 146वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम सर्वश्री / श्रीमती / कुमारी	
1.	राकेश कुमार गुप्ता, सदस्य, अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध, के.ज.आ.	अध्यक्ष
2.	मोती लाल, संयुक्त सचिव, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
3.	प्रवीण कुमार, सचिव, केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
4.	एस.के. राजन, निदेशक, तकनीकी समन्वय, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
5.	अनंत कुमार गुप्ता, निदेशक, पीसीपी निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
6.	निरंजन बर, अभिकल्प एवं अनुसंधान (सम.) निदे., के.ज.आ.	सदस्य
7.	शिशिर कुमार नंदा, निदेशक (स्थापना-1), केंद्रीय जल आयोग	सदस्य
8.	भूपिन्द्र सिंह, निदेशक, जल आयोजना, परियोजना (सम.) निदे., के.ज.आ.	सदस्य
9.	शिव दत्त शर्मा, निदेशक, एसएमडी निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
10.	संजय कुमार गंगवार, निदेशक, प्रशिक्षण/पुस्त. निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
11.	शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक, डब्ल्यूएसई निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
12.	नागेन्द्र कुमार सिंह, उप निदेशक, पीसीपी निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
13.	वि.कुमारी, उप निदेशक, नदी प्रबंध सम.निदेशालय, के.ज.आयोग	सदस्य
14.	रजिन्दर पाल, उप निदेशक (रा.भा.), केंद्रीय जल आयोग	सदस्य सचिव
	अन्य सदस्य	
1.	छन्नू राम, निजी सचिव, हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग
2.	विनय कुमार मिश्र, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग
3.	इंद्रा एस, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग
4.	रोली श्रीवास्तव, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी,हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग
5.	पुनीत पाण्डेय, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग	हिन्दी अनुभाग